

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 पत्रांक- 73 / 11-सी-EP/UP/Other/40253/2019, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 04, 2019

सेवा में,

वन संरक्षक,
 आगरा वृत्त, आगरा।

विषय- जनपद मथुरा की कोसी-नन्दगाँव-बरसाना-गोवर्धन मार्ग (ओडीओआर-143) के कि०मी० चैनल-02/140 की बाँधी पट्टी पर स्थित ग्राम-बरहना के खसरा स०-617 में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, 65/2, संजय फ्लेस, आगरा द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0522528 हे० संरक्षित वन भूमि का चिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति का प्रस्ताव (EP/UP/Other/40253/2019)

सन्दर्भ- आपका पत्रांक-30/14-1, दिनांक 02.07.2019
 मलेयय

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमीयाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया-

- 1- क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है किन्तु प्राक्कलन भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन के अनुसार नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर 50 वृक्षों के क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का 10 का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सारांश सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड करें।
- 2- प्रस्ताव में संलग्न सी०डी० में क्षतिपूर्क वनीकरण का Geo Referenced Digital Map एवं टोपोग्राफिक प्रमाणीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः प्रमाणीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित क्षतिपूर्क वनीकरण का Geo Referenced Digital Map एवं टोपोग्राफिक सी०डी० में अपलोड कर संलग्न करें।
- 3- प्रस्तावित वनभूमि के एन०पी०वी० में संशोधन के उपरान्त बड़ी हुई एन०पी०वी० की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता जो प्रमाणीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।

उपरोक्त इंगित कमीयों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करके हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
 (पकज मिश्र)
 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
 उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 73 / 11-सी-EP/UP/Other/40253/2019, दिनांकित।
 प्रतििलिपि- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमाणीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मथुरा।
- 2- मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, 65/2, संजय फ्लेस, आगरा।

(पकज मिश्र)
 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
 उ०प्र०, लखनऊ।

PIM

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा
 पत्रांक 66/14-1 आगरा, दिनांक 05-07-2019

प्रतिलिपि: प्रमाणीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मथुरा को
 इस संदर्भ के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव की उक्त आपत्तियों को निराकरण हेतु
 उक्त प्रस्ताव उक्त कार्यालय एवं उक्त कार्यालय से किसी प्रतिनिधि के माध्यम
 से प्राप्त कर, संशोधित प्रस्ताव तत्काल उक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने
 का कष्ट करें।

अभिहित
 प्रशासनिक अधिकारी,
 कार्यालय वन संरक्षक,
 आगरा वृत्त

वन संरक्षक,
 आगरा वृत्त, आगरा।